कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

Email-dfo_champawat@rediffmail.com

पत्रांक / चम्पावत, दिनांक 22-6- 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः— पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड लोहाघाट के अन्तर्गत रीठा से कूण मोटर मार्ग निर्माण हेतु 6.94 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online No-FP/UK /ROAD /25934/ 2017) के सम्बन्ध में।**

संदर्भः— भारत सरकार की पत्र संख्या 08बी/यू.सी.पी./06/36/2018/ एफ.सी./1256 दिनांक 20.12.2022, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून की पत्र संख्या—1556/FP/UK/ROAD/25934/2017 दिनांक 28.12.2022 एवं पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड लोहाघाट की पत्र संख्या —550/पी0एम0जी0एस0वाई0 दिनांक 16.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड लोहाघाट के अन्तर्गत रीठा से कूण मोटर मार्ग निर्माण हेतु 6.94 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा 4 बिन्दु की आपत्तियां प्रस्तुत की गयी है, पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड लोहाघाट द्वारा उक्त आपत्तियों का निराकरण कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। जिसके आधार पर अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः—

क्र.स.	आपत्ति	निराकरण
1	Whether the information regarding tree enumeration and forest area requirement submitted with the proposal area according to the forest land demarcated on the ground.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का सीमांकन (demarcation) वास्तविक रूप से प्रभावित होने वाली वन भूमि का ही किया गया है। वास्तविक रूप से प्रस्तावित वनभूमि का सीमांकन करने के उपरान्त ही मार्ग के समरेखण में पड़ने वाले वास्तविक रूप से प्रभावित वृक्षों की गणना की गयी है। तथा उक्त मार्ग हेतु प्रस्तावित की गयी सीमांकित (demarcation) वास्तविक रूप से प्रभावित वन भूमि की गणना की गयी है। उक्त मोटर मार्ग में कुल 6.94 है0 वन भूमि प्रभावित हो रही है, तथा मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या 304 है। प्रभावित 304 वृक्षों में से वास्तविक रूप से प्रभावित कुल 214 वृक्षों का ही पातन किया गया है।
2	Whether the tree felling and the work of road construction has been carried out on the area actually demarcated for the purpose of construction of road.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग में वृक्षों का छपान/पातन एवं मोटर मार्ग का कटान स्वीकृत समरेखण तथा मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित सीमांकित (demarcation) वन भूमि के अनुसार ही किया गया है।
3	If yes then substantial evidence regarding the above provided and the reasons for the submission of incorrect KML be provided to this office.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण एवं वृक्षों का छपान/पातन स्वीकृति समरेखण एवं वास्तविक रूप से प्रभावित तथा मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित सीमांकित (demarcation) वन भूमि के अनुसार ही किया गया है। चूंकि उक्त प्रस्ताव वर्ष 2017 में ऑनलाईन अपलोड किया गया था तत्समय कार्यालय में जी0पी0एस0 कार्डिनेट लेते हुये KML file निर्माण करने हेतु कोई दक्ष (Expert) कर्मचारी न होने के कारण KML file निर्माण में त्रुटि प्रदर्शित हो रही है जिस कारण कुछ स्थानों पर निर्मित मार्ग KML file में प्रदर्शित समरेखण से ईतर दिखाई दे रहा है। वर्तमान में वास्तविक समरेखण के अनुसार संशोधित के0एम0एल0 फाईल तथा जियो रिफरेन्स मैप तैयार किया गया है जिसके अनुसार उक्त मोटर मार्ग के समरेखण में आने वाले वृक्षों का छपान/पातन तथा निर्माण कार्य वास्तविक

	संशोधित मैप एवं स्वीकृत समरेखण के अनुसार ही किया गया है। अतः उक्त मोटर मार्ग को निर्माण स्वीकृत समरेखण में ही किया गया है तथा प्रस्ताव में प्रस्तावित चिन्हित वृक्षों का छपान/पातन किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में वन सरंक्षण अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार का उल्लघंन नहीं हुआ है।
If no, then a report on violation with details on deviation in area alignment and tree felling be provided.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग में वृक्षों का छपान/पातन एवं मोटर मार्ग का कटान स्वीकृत समरेखण तथा मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित सीमांकित (demarcation) वन भूमि के अनुसार ही किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में वन भूमि संरक्षण अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार का उल्लघंन नहीं हुआ है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार सूचना अपने स्तर से अपर प्रमुख एवं नोडल अधिकारी भूमि संरक्षण निदेशालय, देहरादून को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,

(आर.सी.काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

पत्रांक 4548 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः— पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड लोहाघाट को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रकरण की चार प्रतियों में हार्डकापी कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा को विशेष पत्रवाहक के माध्यम से पहुँचाने का कष्ट करें।

(आर.सी.काण्डपाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

"दो गज की दूरी का ध्यान ,यही है कोविड–19 समाधान"

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जीएस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

Phone/Fax :-05964-234118 Email address:-eepmgsylohaghat@gmail.com

पत्रांक 550 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / दिनांक 16.06.2023।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग
चम्पावत।

विषयः– **पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड लोहाघाट के अन्तर्गत रीठा से कूण मोटर मार्ग के निर्माण में 6.94 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/25934/2017 के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **आपका पत्रांक 2497 / 12–1 चम्पावत दिनांक 30.01.2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/25934/2017 रीठा से कूण मोटर मार्ग की सैन्द्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय देहरादून के पत्रांक 08 वी / यू0सी0सी0 / 06 / 36 / 2018 / एफ0सी0 / 619 दिनांक 03.07.2018 द्वारा प्राप्त हुयी थी। तथा कार्यादेश जारी होने के पश्चात मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परन्तु क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 36 / 2018 / एफ0सी0 / 1256 दिनांक 20.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग के के0एम0एल0 (KML) में दर्शित समरेखण एवं वास्तविक कटान में भिन्नता पायी जा रही है। इस क्रम मे लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार प्रतिउत्तर निम्न प्रकार से प्रेषित किया जा रहा है।

क्र0सं0	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1.	Whether the information regarding tree enumeration and forest area requirement submitted with the proposal area according to the forest land demarcated on the ground.	उक्त मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का सीमांकन (demarcation) वास्तविक रूप से प्रभावित होने वाली वनभूमि का ही किया गया है। वास्तविक रूप से प्रस्तावित वनभूमि का सीमांकन करने के उपरान्त ही मार्ग के समरेखण मे पड़ने वाले वास्तविक रूप से प्रभावित वृक्षों की गणना की गयी हैं। तथा उक्त मार्ग हेतु प्रस्तावित की गयी सीमांकित (demarcated) वास्तविक रूप से प्रभावित वन भूमि की गणना की गयी है। उक्त मोटर मार्ग में कुल 6.94 है0 वन भूमि प्रभावित हो रही है, तथा मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या 304 है। प्रभावित 304 वृक्षों में से वास्तविक रूप से प्रभावित कुल 214 वृक्षों का ही पातन किया गया है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जीएस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट
Phone/Fax :-05964-234118
Email address:-eepmgsylohaghat@gmail.com

2.	Whether the tree felling and the work of road construction has been carried out on the area actually demarcated for the purpose of construction of road.	उक्त मोटर मार्ग में वृक्षों का छपान /पातन एवं मोटर मार्ग का कटान स्वीकृत समरेखण तथा मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित सीमांकित (demarcated) वन भूमि के अनुसार ही किया गया है।
3.	If yes ,then substantial evidence regarding the above provided and the reasons for the submission of incorrect KML be provided to this office.	उक्त मोटर मार्ग का निर्माण एवं वृक्षों का छपान /पातन स्वीकृति संमरेखण एवं वास्तविक रूप से प्रभावित तथा मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित सामांकित (demarcated) वन भूमि के अनुसार ही किया गया है। चूँकि उक्त प्रस्ताव वर्ष 2017 में ऑनलाइन अपलोड किया गया था तत्समय कार्यालय में जी0पी0एस0 कार्डिनेट लेते हुये KML file निर्माण करने हेतु कोई दक्ष (Expert) कर्मचारी न होने के कारण KML file के निर्माण में त्रुटि प्रदर्शित हो रही है जिस कारण कुछ स्थानों पर निर्मित मार्ग KML file में प्रदर्शित समरेखण से ईतर दिखाई दे रहा है। वर्तमान में वास्तविक समरेखण के अनुसार संशोधित के0एम0एल0 फाईल तथा जियो रिफरेन्स मैप तैयार किया गया है जिसके अनुसार उक्त मोटर मार्ग के समरेखण में आने वाले वृक्षों का छपान/पातन तथा निर्माण कार्य वास्तविक संशोधित मैप एवं स्वीकृत समरेखण के अनुसार ही किया गया है। अतः उक्त मोटर मार्ग का निर्माण स्वीकृत समरेखण में ही किया गया है तथा प्रस्ताव में प्रस्तावित चिन्हित वृक्षों का छपान/पातन किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार का उल्लघंन नही हुआ है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जीएस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

Phone/Fax :-05964-234118 Email address:-eepmgsylohaghat@gmail.com

4.	If no, then a report on violation with details on deviation in area alignment and tree felling be provided.	उक्त मोटर मार्ग में वृक्षों का छपान/पातन एवं मोटर मार्ग का कटान स्वीकृत समरेखण तथा मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित सीमांकित (demarcated) वन भूमि के अनुसार ही किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में वन भूमि संरक्षण अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार का उल्लघंन नही हुआ है।

अतः सूचना अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :- (1) KML
(2) Geo Reference Map

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिचांई खण्ड, लोहाघाट

"दो गज की दूरी का ध्यान ,यही है कोविड–19 समाधान"

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जीएस0वाई0
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

/Fax :-05964-234118

Email address:-eepmgsylohaghat@gmail.com

रिपोर्ट

जनपद चम्पावत पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत रीठा से कूण मोटर मार्ग प्रस्ताव ख्या FP/UK/Road/25934/2017 की सैद्वान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण, वन जलवायु रिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 08 बी/यू0सी0सी0/06/36/2018/ एफ0सी0/619 दिनांक 03.07. 018 द्वारा प्राप्त हुयी थी। तथा कार्यादेश जारी होने के पश्चात मार्ग का निर्माण किया जा चुका है। तथा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/36/2018/एफ0सी0/1256 दिनांक 20.12.2022 द्वारा अवगत कराया है कि के0एम0ल0 में दर्शित समरेखण एवं वास्तविक कटान में भिन्नता पायी गयी है।

सम्बन्धित प्रस्ताव में पाया गया है कि वृक्षों का छपान/पातन तथा मोटर मार्ग का कटान कार्य सक्षम अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ द्वारा स्वीकृत समरेखण में ही किया गया है।

उक्त वनभूमि प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु 14.200 कि0मी0 लम्बाई में जो के0एम0ल0 फाईल बनायी गयी थी उसे तकनीकी दक्षता की कमी तथा समयाभाव के कारण तत्कालीन अधिकारियों द्वारा अपलोड कर दिया गया था। वर्तमान में वास्तविक समरेखण के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के समरेखण में आने वाले वृक्षों का छपान/कटान तथा निर्माण कार्य वास्तविक संशोधित मैप स्वीकृत समरेखण के अनुसार ही किया गया है। इस निर्माण कार्य में वन अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार का उल्लघंन नही हुआ है।

अतः नोडल अधिकारी एक क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार से अनुरोध है कि कृपया संशोधित के0एम0ल0 फाईल तथा जियो रिफरेन्स मैप को एन0आई0सी0 नई दिल्ली के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड किये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

AAE

वन क्षेत्राधिकारी
भिंगराड़ा वनक्षेत्र
चम्पावत

सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

ो रेफरेंस मैप :- पी० एम० जी० एस० वाई० सिंचाई खण्ड लोहाघाट के अंतर्गत रीठा से
ण मोटर मार्ग के निर्माण में 6.94 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास
भाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/Road/25934/2017

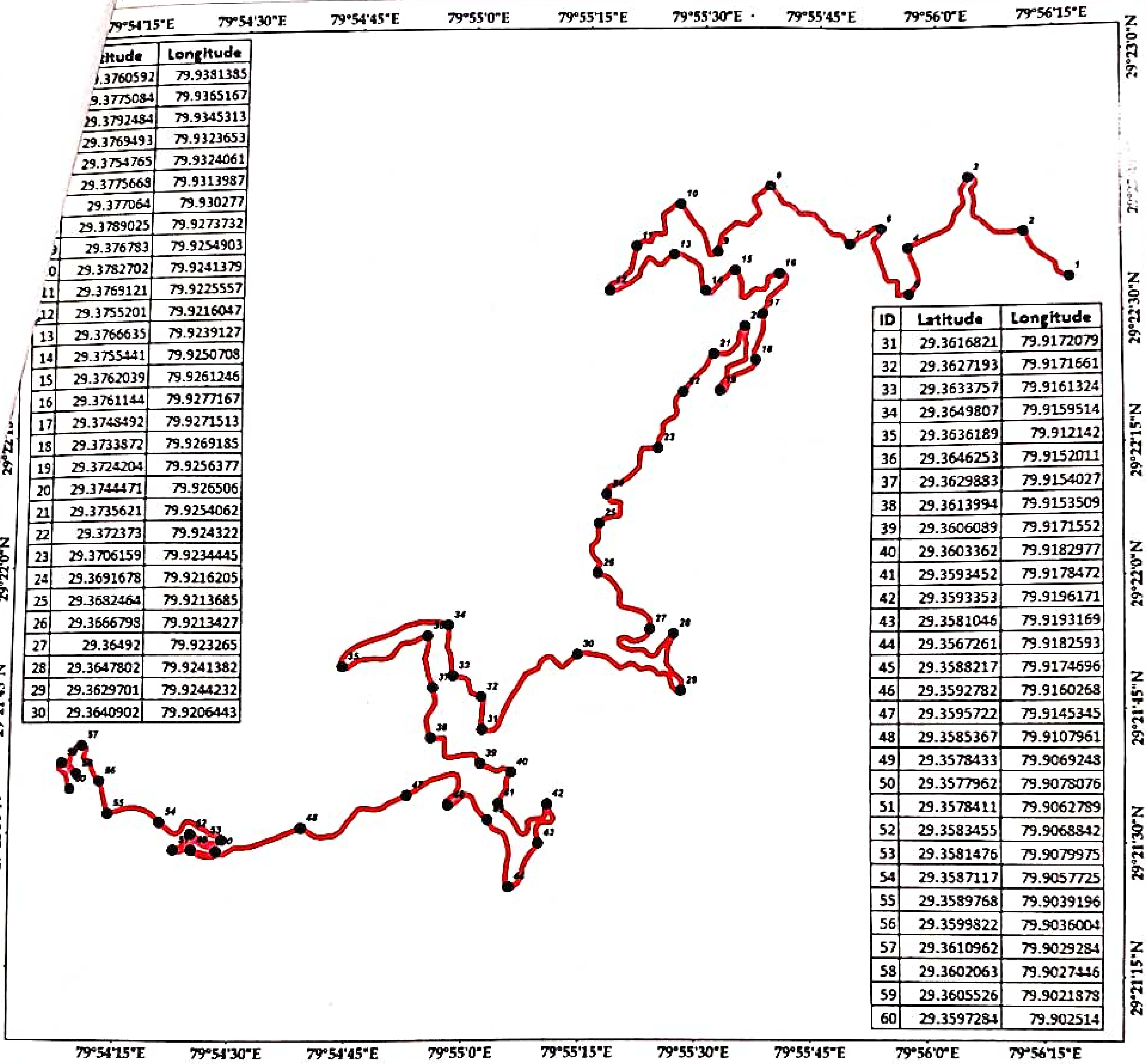

	itude	Longitude
	.3760592	79.9381385
	9.3775084	79.9365167
	29.3792484	79.9345313
	29.3769493	79.9323653
	29.3754765	79.9324061
	29.3775669	79.9313987
	29.377064	79.930277
	29.3789025	79.9273732
9	29.376783	79.9254903
0	29.3782702	79.9241379
11	29.3769121	79.9225557
12	29.3755201	79.9216047
13	29.3766635	79.9239127
14	29.3755441	79.9250708
15	29.3762039	79.9261246
16	29.3761144	79.9277167
17	29.3748492	79.9271513
18	29.3733872	79.9269185
19	29.3724204	79.9256377
20	29.3744471	79.926506
21	29.3735621	79.9254062
22	29.372373	79.924322
23	29.3706159	79.9234445
24	29.3691678	79.9216205
25	29.3682464	79.9213685
26	29.3666798	79.9213427
27	29.36492	79.923265
28	29.3647802	79.9241382
29	29.3629701	79.9244232
30	29.3640902	79.9206443

ID	Latitude	Longitude
31	29.3616821	79.9172079
32	29.3627193	79.9171661
33	29.3633757	79.9161324
34	29.3649807	79.9159514
35	29.3636189	79.912142
36	29.3646253	79.9152011
37	29.3629883	79.9154027
38	29.3613994	79.9153509
39	29.3606089	79.9171552
40	29.3603362	79.9182977
41	29.3593452	79.9178472
42	29.3593353	79.9196171
43	29.3581046	79.9193169
44	29.3567261	79.9182593
45	29.3588217	79.9174696
46	29.3592782	79.9160268
47	29.3595722	79.9145345
48	29.3585367	79.9107961
49	29.3578433	79.9069248
50	29.3577962	79.9078076
51	29.3578411	79.9062789
52	29.3583455	79.9068842
53	29.3581476	79.9079975
54	29.3587117	79.9057725
55	29.3589768	79.9039196
56	29.3599822	79.9036004
57	29.3610962	79.9029284
58	29.3602063	79.9027446
59	29.3605526	79.9021878
60	29.3597284	79.902514

Legend

0 0.25 0.5 1 Km

● GPS Points

Constructed Road

AAE

वन क्षेत्राधिकारी
भिंगराड़ा वनक्षेत्र
चम्पावत

सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
पी० एम० जी० एस० वाई०
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लोहाघाट

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।